प्रस्तावना

31 मार्च 2017 को समाप्त हुये वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों तथा सेवा की शर्त्तों) अधिनियम, 1971 के तहत् किये गए राजस्व प्रक्षेत्र के अधीन राजस्व उदग्रहीत करने वाले मुख्य विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका, वर्ष 2016–17 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक थे, शामिल किये गये हैं।

इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1,835.31 करोड़ है जो वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य के कर एवं कर भिन्न राजस्व का 7.02 प्रतिशत है। सरकार/विभागों ने ₹ 1,244.35 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 13.78 करोड़ की वसूली हुई।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह प्रतिवेदन निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है:

सामान्य

1. पूर्व के वर्ष की तुलना में 2016–17 में कर राजस्व में ह्रास (6.71 प्रतिशत) एवं कुल राजस्व में कर राजस्व के हिस्से में उल्लेखनीय ह्रास का प्राथमिक कारण अप्रैल 2016 से बिहार में शराब का निषेध एवं 8 नवम्बर 2016 की विमुद्रीकरण के पश्चात् मुद्रांक तथा निबंधन फीस के प्राप्तियों में उल्लेखनीय कमी था।

2. प्राक्कलनों की तुलना में भू–राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण 2015–16 एवं 2016–17 के लिए बजट अनुमानों में सरकारी भूमि के हस्तांतरण तथा स्थापना प्रभार की प्राप्तियों को सम्मिलित नहीं करना था।

3. पत्थर खदानों के बंदोबस्ती नहीं किए जाने तथा ईंट भट्ठा एवं कार्य प्रमंडलों से सम्भावित रॉयल्टी के वसूली नहीं होने के कारण खान एवं भूतत्व विभाग वर्ष 2013–14, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान बजट अनुमानों को प्राप्त करने में विफल रहा।

4. राजस्व अर्जित करने वाले किसी विभाग ने लंबित बकायों का डेटाबेस नहीं बनाया था जिसके कारण राजस्व बकायों के अनुश्रवण में विफलता हुई। परिणामस्वरूप ₹ 6,327.12 करोड़ के बकाये लम्बित रहे, जिसमें से ₹ 801.75 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे।

5. दो हजार चार सौ छब्बीस निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकनों को, जिसमें ₹ 17,563.67 करोड़ के संभावित राजस्व सन्निहित थे, राजस्व अर्जित करने वाले विभाग उपचारित करने में विफल रहे। यहाँ तक कि 2008–09 और आगे निर्गत किए गए, ₹ 7,197.52 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,173 निरीक्षण प्रतिवेदनों

के प्रथम उत्तर, जो कि कार्यालयों के प्रमुखों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्राप्त होने थे, नहीं प्राप्त हुए थे।

6. लेखापरीक्षा ने स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान वाणिज्य–कर, भू–राजस्व, वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक एवं निबंधन फीस तथा खनिज प्राप्तियों से संबंधित 299 इकाइयों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया और 3,960 मामलों में ₹ 4,550.08 करोड़ के अवनिर्धारण/कम वसूली/राजस्व की हानि का पता लगाया। संबंधित विभागों ने 557 मामलों में ₹ 1,320.17 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया तथा ₹ 29.63 करोड़ की वसूली की।

7. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग ने लोक लेखा समिति द्वारा पिछले वर्षों (2011–15) से संबंधित चार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गयी 19 अनुशंसाओं पर कोई भी कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किया।

आंतरिक लेखापरीक्षा

8. वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने 2012–17 के दौरान सभी राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की 1,186 इकाइयों में से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 52 इकाइयों, निबंधन विभाग की छः इकाइयों तथा उत्पाद विभाग की एक इकाई का लेखापरीक्षा किया। वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने विभिन्न संवर्गों में 16.33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच मानव बल की भारी कमी के कारण 31 मार्च 2018 तक किसी अन्य प्रमुख राजस्व अर्जन विभागों जैसे वाणिज्य–कर विभाग, परिवहन विभाग एवं खान एवं भूतत्व विभाग की लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं किया।

वाणिज्य–कर विभाग

9. कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार, विहित नियंत्रणों का प्रयोग नहीं किया तथा इसके फलस्वरूप 12 व्यवसायियों के मामलें में ₹ 24.31 करोड़ के आवर्त्त के छिपाव एवं 14 व्यवसायियों के मामलें में ₹ 2.09 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ को चिह्नित नहीं किया जिसके कारण आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 20.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

10. कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने क्रय/विक्रय के विवरणों की तिर्यक जाँच नहीं किया जिसके फलस्वरूप एक व्यवसायी द्वारा देय ₹ 49.32 करोड़ के अतिरिक्त कर तथा ₹ 15.06 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 70.82 करोड़ के कर देयता का पता नहीं लगाया जा सका।

11. करदाताओं द्वारा गलत दर लगाने तथा कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगा पाने के कारण विभाग, ब्याज सहित ₹ 12.45 करोड़ के राजस्व की वसूली करने में विफल रहा।

12. कर–निर्धारण प्राधिकारी, कर दाताओं द्वारा मार्गस्थ बिक्री के कटौतियों के अनियमित दावों को पता लगाने में विफल रहे जिसके कारण ₹ 42.75 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. पाँच जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों ने भूमि का गलत बाजार मूल्य लगाया जिसके कारण भू–स्वामियों को ₹ 873.46 करोड़ के मुआवजे का कम भुगतान हुआ।

14. भूमि मालिकों, जिनके भूमि को आपातिक स्थिति में अधिग्रहित किया गया था, को ₹ 132.44 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया गया।

15. तीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी 2007 से 2017 तक ₹ 208.92 करोड़ का स्थापना प्रभार सरकारी खाता में जमा करने में विफल रहे।

16. प्रभावित परिवारों/भू–स्वामियों को ₹ 97.97 करोड़ के एकमुश्त पुनर्वास भत्ता एवं रोजगार के बदले मुआवजा से वंचित रखा गया।

17. तीन अपर समाहर्ताओं ने ₹ 11.28 करोड़ के सलामी (भूमि का बाजार मूल्य) तथा लगान के संचयित मूल्य की वसूली किए बिना 44 एकड़ सरकारी भूमि को स्थानान्तरित किया।

परिवहन विभाग

18. बाईस जिला परिवहन कार्यालयों में 862 मोटर वाहन मालिकों ने ₹ 4.44 करोड़ के एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया।

19. वाहन सॉफ्टवेयर डेटाबेस के आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र के अभाव में 25 जिला परिवहन पदाधिकारी, कर चूककर्ता वाहनों को चिह्नित करने में विफल रहे परिणामस्वरूप ₹ 6.68 करोड़ के मोटर वाहन कर की वसूली नहीं हुई।

''खनन प्राप्तियाँः रॉयल्टी, फीस तथा किराया का आरोपण एवं संग्रहण की लेखापरीक्षा''

(खान एवं भूतत्व विभाग)

20. सभी संवर्गो में महत्वपूर्ण रिक्तियों, विशेषतः, खनन पदाधिकारियों एवं खान निरीक्षकों के महत्वपूर्ण पदों पर 76 प्रतिशत तथा 81.58 प्रतिशत की रिक्तियों, ने विभाग के मुख्य कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। पुनः, मानवबल की कमी के कारण विभाग ने ईंट भट्ठों के निरीक्षण को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंचलाधिकारियों को सौंप दिया जिसके कारण 2015–16 के तुलना में 2016–17 के दौरान ईंट भट्ठों से ₹ 3.40 करोड़ के राजस्व का कम उद्ग्रहण हुआ।

21. जिला खनन पदाधिकारी, नवादा एवं रोहतास ने अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पट्टे के नवीकरण के बिना, खनन कार्य की जानकारी होने के बावजूद, न तो चूना पत्थर, अभ्रख एवं सिलिका के अवैध खनन पर रोक लगाई न ही ₹ 18.38 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण किया।

22. चौबीस जिला खनन पदाधिकारियों ने प्रपत्र एम एवं एन (खनिजों के व्यवसायियों एवं खनिजों के विवरण) के बिना प्रस्तुत कार्य संवेदकों के विपत्रों का भुगतान का न होना सुनिश्चित करने में विफल रहे, फलस्वरूप अप्राधिकृत साधनों से खनिज प्राप्ति के लिए ₹ 67.39 करोड़ के अर्थदण्ड की वसूली करने में भी विफल रहे।

23. विभाग ने, संविधान की धारा 266 (1) का उल्लंघन करते हुए, खान एवं खनिज विकास, पुनःस्थापन एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत जमा राशि को संचित निधि के बजाए लोक लेखा में सीधे जमा करने के लिए, बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 को 2014 में संशोधित किया। पुनः विभाग ने खान एवं खनिज विकास पुनःस्थापन एवं पुनर्वास निधि को स्थापित नहीं किया तथा ₹ 19.50 करोड़ बैंक खाते में रखा रह गया।

24. दो जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा बालू घाटों का संचालन किए जाने में विफलता के कारण 2016 में ₹ 49.09 करोड़ की हानि हुई।